महत्वपूर्ण

संख्या– 601/नौ–9–2014–195द्वि0रा0वि0आ0/04

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ0प्र0,
लखनऊ।

2. नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ/आगरा/वाराणसी/इलाहाबाद/
कानपुर नगर/मेरठ,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊः दिनांक : 22 मई, 2014

विषय– उत्तर प्रदेश महानगर योजना समिति(प्रक्रिया का विनियमन एवं उसके कृत्यों का कियान्वयन) नियमावली, 2011

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश महानगर योजना समिति(प्रक्रिया का विनियमन एवं उसके कृत्यों का कियान्वयन) नियमावली, 2011 के नियम–4(1) के अनुसार महानगर योजना समिति के सदस्यों की संख्या–30 निर्धारित करते हुये अधिसूचना संख्या 595/9–9–2014–195 द्वि0 रा0वि0आ0/04 दिनांक 22 मई, 2014 द्वारा प्रख्यापित की गई है, जिसकी प्रति अनुपालनार्थ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

hggo-1

संख्या– 601 (1)/नौ–9–2014–195द्वि0रा0वि0आ0/04

प्रतिलिपि निम्नलिखित को नियमावली की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कृपया संलग्न अधिसूचना संख्या 595/9–9–2014–195द्वि0रा0 वि0आ0/04, दिनांक 20 मई,2014 की हिन्दी एवं अंग्रेजी को सरकारी गजट उ0प्र0 असाधारण, विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड–ख में दिनांक 22 मई, 2013 की तिथि में प्राथमिकता के आधार पर प्रकाशित कराकर उसकी 150 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. वेब मास्टर को वेब साइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

hggo-1

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–9
सं0– 595/नौ–9–2014–195द्वि.रा.वि.आ./04
लखनऊ : दिनांक : 22 मई, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश महानगर योजना समिति (प्रकिया का विनियमन एवं उसके कृत्यों का कियान्वयन) नियमावली, 2011 के नियम–4 के उपनियम (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल अधिसूचित करते हैं कि महानगर क्षेत्र के लिये महानगर योजना समिति के सदस्यों की सख्या 30 होगी।

आज्ञा से,

21/5/2014
(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

hguo-1